डिस्कलेमर

आदेश संख्या 13/2023-24 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/डब्लयूएफएसबीपीएल/सी/बैंगलुरू/सीपी-I/2023-28

आदेश संख्या 13/ 2023-24

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स डब्ल्यूएफएस (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 09.08.2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

अध्याय 9 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

डब्ल्यूएफएसबीपीएल द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू के संबंध **में** कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ निर्धारित करने संबंधी संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों का सार **इस प्रकार है:**

अध्याय संख्या	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.10.1**	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि डब्ल्यूएफएसबीपीएल द्वारा केआईए, बैंगलुरू में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाएं **'मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी'** है। तदनुसार प्राधिकरण स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए इसकी प्रथम नियंत्रण अवधि के संबंध में टैरिफ **"लाइट टच अप्रोच" आधार पर निर्धारित करने का** निर्णय लेता है।	13
अध्याय संख्या 3	**3.6.1**	प्राधिकरण डब्ल्यूएफएसबीपीएल के लिए तालिका 07 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए के लिए कार्गो मात्रा को मानने का निर्णय लेता है।	22
अध्याय संख्या 4	**4.10.1**	प्राधिकरण तालिका 8 के अनुसार आरएबी में परिवर्धनों को मानने का प्रस्ताव करता है।	34
	4.10.2	प्राधिकरण तालिका 11 के अनुसार मूल्यह्रास को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	4.10.3	प्राधिकरण तालिका 13 के अनुसार औसत आरएबी को मानने का प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 5	**5.9.1**	प्राधिकरण डब्ल्यूएफएसबीपीएल के लिए तालिका 23 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के संबंध में ओपेक्स पूर्वानुमान को मानने का निर्णय लेता है।	58
अध्याय संख्या 6	**6.5.1**	प्राधिकरण एएफएस से संबंधित कार्गो के संबंध में 30% न्यूनतर टीएसपी प्रभार मानने का निर्णय लेता है।	63
अध्याय संख्या 7	**7.6.1**	प्राधिकरण तालिका 26 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एफआरओआर को मानने का प्रस्ताव करता है।	74
	7.6.2	प्राधिकरण तालिका 28 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	7.6.3	प्राधिकरण स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए इसकी प्रथम नियंत्रण अवधि के संबंध में **संलग्लक-III** के अनुसार कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ दर कार्ड को मानने का प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 8	**8.6.1**	प्राधिकरण डब्ल्यूएफएसबीपीएल के संबंध में तालिका 37 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित लाभ विवरण (प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि के बाद) को मानने का निर्णय लेता है।	87

अध्याय 10. आदेश

प्राधिकरण इसके समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) डब्ल्यूएफएसबीपीएल द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में स्वतंत्र सेवा प्रदाता की प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रदान की जा रही अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग से संबंधित सेवाएं 'मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी' मानी जाती है। तदनुसार प्राधिकरण ने डब्ल्यूएफएसबीपीएल के संबंध में कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ **'लाइट टच अप्रोच' के अंतर्गत** निर्धारित की है।

(ii) डब्ल्यूएफएसबीपीएल को इसकी प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए 10.08.2023 से अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए **संलग्नक–III** के अनुसार संशोधित टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(iii) इसमें निर्धारित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ है। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iv) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में सभी लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री किरण कुमार, जेजी,
मुख्य वित्त अधिकारी, (सीएफओ),
मैसर्स डब्ल्यूएफएस (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूएफएसबीपीएल),
प्रशासनिक ब्लॉक, कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
बैंगलुरू, कर्नाटक-560300

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली –110 003।
2. श्री हरि के. मरार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अल्फा-2, कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू- भारत- 560300